

74

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/एक/2017 निगरानी - R-752-I/17

श्री लखन सिंह धाकर एडवोकेट  
द्वारा आज दि. 28/02/17 को  
प्रस्तुत

कलेक्ट ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुस. हुक्मा देवी वेवा अंगद सिंह

निवासी- ग्राम मनफूल का पुरा (डिडी)

वृत्त फूफ, जिला मिण्ड म.प्र.

..... आवेदिका

बनाम

- 1- मुस. शीला वेवा रामलक्षिन
- 2- रमेश पुत्र स्व. रामलक्षिन
- 3- छोटे उर्फ सर्विस पुत्र स्व. रामलक्षिन
- 4- राकेश पुत्र स्व. रामलक्षिन

निवासी- ग्राम मनफूल का पुरा (डिडी)

वृत्त फूफ, जिला मिण्ड म.प्र.

..... अनावेदकगण

Lakhan Singh Dhakar  
Advocate  
28/02/17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व  
संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त फूफ जिला  
मिण्ड के प्रकरण क्रमांक 167/10-11/बी-121 में पारित आदेश  
दिनांक 12.01.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

1. यहकि, आवेदिका द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार महोदय जिला मिण्ड के


..... आवेदिका द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार महोदय जिला मिण्ड के 313 रकबा .220

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-752-एक/17

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	